का ~~अधिकार किया है।~~ P.O. साहब ~~दौरे~~ ~~पर/अवकाश पर~~ अन्य कार्यों में व्यस्त है।
पत्रावली दि० 9-10-14 को पेश हो।

रीडर

उभयपक्ष

9-10-14 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/वकील~~ ~~प्रतिवादी~~ उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली दि० 30-10-14 को पेश हो।

रीडर

30-10-14 पत्रावली पेश हुई/अ~~धिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब दौरे पर/अवकाश पर~~/अन्य कार्यों में व्यस्त है।
पत्रावली दि० 10.12.14 को पेश हो।

रीडर

10-12-14 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील प्रतिवादी उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। दौरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली दि० 12.2.15 को पेश हो।

रीडर

12-2-15 वकील उभयपक्ष उप० है। वास्ते ~~आदेश~~ बहस पत्रावली दि० 12-3-2015 को पेश हो।

12-3-2015 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। T. I. प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील सायल का तर्क है कि ख०नं० 84/1 मे गैरसायलान के पिता कजोड्या ने 3 बीघा भूमि अपने हिस्से की दि० 6-5-89 को रु० 3000/- मे सायल को विक्रय कर उस पर कब्जा सायल का करा दिया था तभी से इस भूमि पर सायल का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। भूमि के विक्रय की लिखावट 7/- रु० के स्टाम्प पेपर पर की गई थी। गैरसायलान के पिता की मृत्यु के बाद भूमि का विरासत का नामा० गैरसायलान के नाम खुल गया है परन्तु 3 बीघा भूमि पर सायल का निरन्तर कब्जा चला रहा है। अब गैरसायलान सायल के कब्जे की भूमि 3 बीघा को जो नवीन ख०नं० 254 रकबा 3.20 हैक्टर ग्राम दौलतपुर मे स्थित है, बेचने पर एवं सायल के कब्जे मे दखल देने पर उतारू है इसलिए गैरसायलान को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो इ[illegible] हुक्म की तामी[illegible] में जारी हुए
	अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। गैरसायलान के वकील का तर्क है कि भूमि सायल को कभी विक्रय नहीं की गई क्योंकि भूमि की खातेदारी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम रही है जिसे सवर्ण जाति के व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भूमि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर बेचना बताया जा रहा है इसलिए इस मुकदमे को सुनने का क्षेत्राधिकार भी इस न्यायालय को नहीं है। भूमि पर सायल का कब्जा भी नहीं है। अतः न.प्र. प्रा०पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। सायल ने वादग्रस्त भूमि की खरीद संबंधी लिखावट जो पेश की है वह 7/=रु० के स्टाम्प पेपर पर है एवं यह अपंजीकृत दस्तावेज है जो विधि अनुसार नहीं है तथा इस अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर सायल कोई अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं है। जहां तक भूमि पर सायल के एडवर्स पजेशन का प्रश्न है, कब्जे बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। वैसे भी भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि है जिस पर सायल की एडवर्स पजेशन की थ्योरी भी लागू नहीं होती है क्योंकि सायल अनुसूचित जाति वर्ग से नहीं है। इस प्रकार सायल द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विधि से पोषणीय नहीं है एवं खारिज किए जाने योग्य है। अतः सायल द्वारा प्रस्तुत यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। [signature] उप [illegible] कलेक्टर गं[illegible] (स०मा०)	